प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 765/2022

अनवान : –

1. रामकुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति स्वामी निवासी मिनकदेसर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. महावीर प्रसाद पुत्र अर्जनदास जाति स्वामी निवासी मिनकदेसर तहसील नोहर।
2. बलवीर पुत्र महावीर प्रसाद जाति स्वामी निवासी मिनकदेसर तहसील नोहर।
3. रविदत पुत्र महावीर प्रसाद जाति स्वामी निवासी मिनकदेसर तहसील नोहर।
4. मनोहरलाल पुत्र महावीर प्रसाद जाति स्वामी निवासी मिनकदेसर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 31.05.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 148/147 की कुल 11.4950 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 149/152 की कुल 8.0960 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा अर्जनदास के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी स0 1 के नाम विरासतन राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 तथा प्रतिवादी स0 1 ने बाहमी बंटवारा कर लिया है जिसके अनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाना चाहते है। यही बिनाय दावा है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:36:45 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 5 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में पुरानी व नयी जमाबंदी, सदस्य प्रमाण पत्र आदि पेश किये। वादी एवं प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया की वादी रामकुमार के पास रोही मौजा मिनकदेसर के खाता स0 148/147 के ख0न0 356/1 की 0.7590 हैक्ट अगुणा पासा, ख0न0 352/1/1 की 0.6325 हैक्ट आथुणा पासा, ख0न0 373 की 1.3910 हैक्ट ख0न0 352/3 की 0.1100 हैक्ट ख0न0 265/1 की 0.3795 हैक्ट रास्ता के पास की भूमि रहेगी तथा प्रतिवादी स0 1 के पास रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 149/152 की कुल 8.0960 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि रहेगी। प्रतिवादी स0 2 बलवीर के पास रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 148/147 के ख0न0 352/1/2 की 1.0775 हैक्ट मध्य भाग, ख0न0 400/1 की .07590 हैक्ट मध्य भाग, ख0न0 265/2 की 0.82225 हैक्ट अगुणा पासा की भूमि रहेगी। प्रतिवादी स0 3 रविदत के पास रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 148/147 के ख0न0 352/1/3 की 1.0120 हैक्ट मध्य भाग, ख0न0 400/2 की 0.5060 हैक्ट मध्य भाग, ख0न0 356/2 की 0.6320 हैक्ट भूमि रास्ता के पास ख0न0 265/3 की 0.82225 हैक्ट मध्य भाग की भूमि रहेगी। प्रतिवादी स0 4 के पास रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 148/147 के ख0न0 400/3 की 2.0860 हैक्ट अगुणा पासा ख0न0 352/1/4 की 0.5060 हैक्ट अगुणा पासा की रहेगी। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर वाद भूमी राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा पाने के अधिकारी है। वाद भूमी मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो हम पक्षकारान को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा व वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 4 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:36:45 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 के रोही मौजा

पीरेर तहसील सरदारशहर के खाता स0 224/142 की कुल 23.9300 हैक्ट भूमि में से 253/2393 हिस्सा भूमि दर्ज है जो की प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रखी जावे। प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रस्तुत वाद में रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 148/147 की कुल 11.4950 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 149/152 की कुल 8.0960 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 द्वारा जवाब इकबाल दावा तथा वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो वादी एवं प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 1 ने स्वयं के नाम अन्य कृषि भूमि होना स्वीकार किया है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण की सहमति एवं राजीनामा तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर के खाता स0 148/147 के ख0न0 356/1 की 0.7590 हैक्ट अगुणा पासा, ख0न0 352/1/1 की 0.6325 हैक्ट आथुणा पासा, ख0न0 373 की 1.3910 हैक्ट ख0न0 352/3 की 0.1100 हैक्ट ख0न0 265/1 की 0.3795 हैक्ट रास्ता के पास की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 148/147 के ख0न0 352/1/2 की 1.0775 हैक्ट मध्य भाग, ख0न0 400/1 की .07590 हैक्ट मध्य भाग, ख0न0 265/2 की 0.82225 हैक्ट अगुणा पासा की भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 148/147 के ख0न0 352/1/3 की 1.0120 हैक्ट मध्य भाग, ख0न0 400/2 की 0.5060 हैक्ट मध्य भाग, ख0न0 356/2 की 0.6320 हैक्ट भूमि रास्ता के पास ख0न0 265/3 की 0.82225 हैक्ट मध्य भाग की भूमि का प्रतिवादी स0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 148/147 के ख0न0 400/3 की 2.0[illegible] अगुणा पासा ख0न0 352/1/4 की 0.5060 हैक्ट अगुणा पासा की भूमि का प्रतिवादी [illegible] खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 149/152 की कुल 8.0960 हैक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:36:45 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 1 के यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 31.5.23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट– मन्दरपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:36:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 765/2022

अनवान : –

1. रामकुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति स्वामी निवासी मिनकदेसर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. महावीर प्रसाद पुत्र अर्जनदास जाति स्वामी निवासी मिनकदेसर तहसील नोहर।
2. बलवीर पुत्र महावीर प्रसाद जाति स्वामी निवासी मिनकदेसर तहसील नोहर।
3. रविदत पुत्र महावीर प्रसाद जाति स्वामी निवासी मिनकदेसर तहसील नोहर।
4. मनोहरलाल पुत्र महावीर प्रसाद जाति स्वामी निवासी मिनकदेसर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 765 सन 2022 निर्णय दिनांक 31.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं राजीनामा तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर के खाता स0 148/147 के ख0न0 356/1 की 0.7590 हैक्ट अगुणा पासा, ख0न0 352/1/1 की 0.6325 हैक्ट आथुणा पासा, ख0न0 373 की 1.3910 हैक्ट ख0न0 352/3 की 0.1100 हैक्ट ख0न0 265/1 की 0.3795 हैक्ट रास्ता के पास की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 148/147 के ख0न0 352/1/2 की 1.0775 हैक्ट मध्य भाग, ख0न0 400/1 की .07590 हैक्ट मध्य भाग, ख0न0 265/2 की 0.82225 हैक्ट अगुणा पासा की भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 148/147 के ख0न0 352/1/3 की 1.0120 हैक्ट मध्य भाग, ख0न0 400/2 की 0.5060 हैक्ट मध्य भाग, ख0न0 356/2 की 0.6320 हैक्ट भूमि रास्ता के पास ख0न0 265/3 की 0.82225 हैक्ट मध्य भाग की भूमि का प्रतिवादी स0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 148/147 के ख0न0 400/3 की 2.0860 हैक्ट अगुणा पासा ख0न0 352/1/4 की 0.5060 हैक्ट अगुणा पासा की भूमि का प्रतिवादी स0 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 [illegible]9/152 की कुल 8.0960 हैक्ट भूमि में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:36:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 1 के यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 31/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मन्दरपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:36:45 IST
Reason: SelfAttested